फर्द अहकाम
कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती भंवरीबाई **विपक्षी :– रितेश**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 06/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.01.2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में विपक्षी सं. 1 से 10 व 12, 13 अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी सं. 11 के विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीयां एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। अतः सीमा को लेकर ही विवाद है इसलिए विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: आदेश :–** प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वासनीकलां पटवार हल्का वासनीकलां की आराजी नम्बर 1116 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 1099, 1100 किता 2 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1115 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि के चारों दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान एवं पडोसी खातेदार की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(अक्षय गोदारा IAS)** **सहायक कलक्टर** **(SDO)मावली**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Akshay Godara
Date: 2020.02.12 12:36:42 IST
Reason: SelfAttested